न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग० 3745-अ/15 /2015 पुनरीक्षण (46)

1. मांगीलाल पुत्र सामलिया
निवासी ग्राम बागरोद
तहसील विजयपुर जिला–श्योपुर
2. राजकुमार पुत्र माखनलाल
निवासी मण्डी विजयपुर
तहसील विजयपुर जिला–श्योपुर

दिनांक 18-11-15 को श्री मुकेश ... द्वारा प्रस्तुत।
18-11-15
50

विरूद्ध

रामचरण पुत्र लोडू जाटव
निवासी बागरोद
तहसील विजयपुर जिला–श्योपुर

**तहसील विजयपुर के राजस्व निरीक्षक मण्डल विजयपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/2015–16/अ–12 में की जा रही सीमांकन की कार्यवाहीं एवं आदेश पत्रिका दिनांक 08–11–2015 के पुनरीक्षण हेतु आवेदन अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.**

**महोदय,**

**आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–**

1. यह कि, ग्राम बागरोद की भूमि सर्वे क्रमांक 1625 में से 1.568 हैक्टेयर के अभिलिखित भूमि स्वामी आवेदकगण है आवेदकगण का अपने स्वत्व के अनुसार भूखण्ड पर आधिपत्य है तथा आवेदकगण की भूमि चारो ओर से पत्थर की कच्ची दीवार के अंदर स्थित है.

2. यह कि, सर्वे क्रमांक 1625 में से 1.045 हैक्टेयर का तथाकथित रूप से पट्टा अनावेदक एवं उसके परिवार के अन्य व्यक्तियों के नाम पर हुआ था परंतु अनावेदक का सर्वे क्रमांक 1625 के किसी भाग पर आधिपत्य नहीं है.

3. यह कि, सर्वे क्रमांक 1625 के बंटाकन की कार्यवाही में आवेदकगण को कोई सूचना नहीं दी गयी थी तहसील न्यायालय ने जो बंटाकन किया था उसे अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने निरस्त किया था अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध एक भागीदार हरिओम ने राजस्व मण्डल के समक्ष खुबा पुत्र दुल्ली को पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया था जिसकी जानकारी होने पर आवेदक 1 एवं केशव प्रसाद ने पक्षकार बनने हेतु आवेदन दिया उन्हें पक्षकार भी बनाया गया परंतु पुनरीक्षणकर्ता एवं खुबा के मध्य हुये राजीनामे के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 127–2/2012 में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है.

18-11-15

4. यह कि, आवेदक क्रमांक–1 एवं केशव प्रसाद ने राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष रिट याचिका क्रमांक 4330/2015 प्रस्तुत की है जो सुनवायी हेतु लम्बित है उक्त याचिका में सर्वे क्रमांक 1625 के संपूर्ण बंटाकन को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है.

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3744/I/2015 जिला–श्योपुर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 3-3-2016 | प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसील विजयपुर राजस्व निरीक्षक मण्डल विजयपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 03/2015–16/अ–12 में पारित आदेश दिनांक 08.11.2015 से परिवेदित होकर म.प्र. भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 के तहत् पेश की गयी है।<br><br>2– अनावेदक रामचरण द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक 1625/7 रकवा 1.045 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार न्यायालय में चालान खसरा नकल एवं अक्श के साथ प्रस्तुत किया था। जिसके आधार पर कार्यवाही प्रारंभ की गयी एवं प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 08.11.2015 नियत की गयी उक्त दिनांक को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त रहने से प्रकरण में आगामी पेशी नियत की गयी। जिसके विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा वर्तमान निगरानी प्रस्तुत की गयी है।<br>आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह बताया गया कि ग्राम वागरोद की भूमि सर्वे क्रमांक 1625 में से 1.568 है0 के वह अभिलिखित भूमि स्वामी है और उनका अपने स्वत्व के अनुसार भूखण्ड पर अधिपत्य है अनावेदक द्वारा उक्त भूमि में अवैध वंटाकन करा लिया है और अब सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिस पर पृथक–पृथक आपत्तियॉ प्रस्तुत की गयी है किन्तु सीमांकन कार्यवाही संचालित रखी गयी है इसलिये सीमांकन की समस्त कार्यवाही अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया। | |

R 3744.I/15 (श्योपुर)

अनावेदक की ओर से अभिभाषक द्वारा तर्को मे बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमांकन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में कार्यवाही प्रारंभ की गयी है किन्तु आवेदकगण उक्त सीमांकन कार्यवाही को संचालित नहीं होने दिया जा रहा है जबकि भूमि का सीमांकन कराने तथा अपनी सीमाओं का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना भूमि स्वामी का अधिकार है। इस प्रकरण में सीमांकन कार्यवाही की जा रही है जिसमें आवेदकगण को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा सुनवाई का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिका का अवलोकन किया गया राजस्व निरीक्षक विजयपुर के समक्ष अनावेदक द्वारा सीमांकन का आवेदन दिनांक 28.10.2015 को प्रस्तुत किया है। जिसके आधार पर सीमांकन हेतु पटवारी मौजा को पत्र जारी कर आगामी पेशी सीमांकन हेतु दिनांक 08.11.2015 नियत की गयी है उक्त दिनांक को तहसील कार्यालय में जिले से कम्प्यूटर एन.आई.सी. शाखा से पटवारियों कम्प्यूटरो में दीगर हल्कों का वर्जन (डाटा) डालने की कार्यवाही में पीठासीन अधिकारी के व्यस्त होने का उल्लेख है। इस आदेश पत्रिका में कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे आवेदक के हितो पर विपरीत प्रभाव हो। वर्तमान प्रकरण में सीमांकन की कार्यवाही की जानी है जिसके संबंध में आवेदकगण को साक्ष्य तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक की ओर से प्रस्तुत निगरानी बलहीन एवं सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

उभय पक्ष सूचित हो।

सदस्य